



Neutral Citation No - 2026:AHC:36874

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट-सी संख्या - 2026 की 4265

गुज्जन

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 5 अन्य

.....प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : राघवेन्द्र शंकर श्रीवास्तव

प्रतिवादीगण के अधिवक्ता : भूपेन्द्र कुमार त्रिपाठी, मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया

1. उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 116 के अन्तर्गत प्रतिवादी संख्या 6 अर्थात् नितोहार द्वारा याचिकाकर्ता के विरुद्ध कार्यवाही प्रारंभ की गई थी, जो वाद संख्या 6268/2024, कंप्यूटरीकृत वाद संख्या T202414180406268 के रूप में पंजीकृत हुई। उक्त कार्यवाहियों में प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा दिनांक 05.11.2024 को अन्तिम डिक्री तैयार करने का आदेश पारित किया गया।

2. उपर्युक्त के विरुद्ध व्यथित होकर याचिकाकर्ता ने उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 207 के अन्तर्गत अपील प्रस्तुत की, जो वाद संख्या 3526/2024, कंप्यूटरीकृत वाद संख्या C202414000003526 के रूप में पंजीकृत हुई। उक्त अपील को अपर आयुक्त (प्रशासन), वाराणसी मण्डल, वाराणसी द्वारा आदेश दिनांकित 14.10.2025 के माध्यम से निरस्त कर दिया गया। उक्त आदेश के निष्कर्षों के आधार पर संबंधित प्रतिवादी के समक्ष आवेदन दाखिल किया गया, चूँकि आज पर्यन्त कोई निर्णय नहीं लिया गया है, अतः वर्तमान रिट याचिका प्रस्तुत की गई है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता तथा प्रतिवादी संख्या 5 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री बी.के. त्रिपाठी को सुना गया।

4. आज पारित किए जाने वाले प्रस्तावित आदेश के दृष्टिगत, निजी प्रतिवादियों को सूचना जारी किए जाने की आवश्यकता नहीं है।

5. प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों में तथा न्याय के हित में, वर्तमान रिट याचिका यह निर्देशित करते हुए अंतिमता से निस्तारित की जाती है कि याचिकाकर्ता आज से तीन सप्ताह की अवधि के भीतर इस आदेश की प्रमाणित प्रति सहित प्रतिवादी संख्या 3 अर्थात् उप जिलाधिकारी (न्यायिक), दीन दयाल उपाध्याय नगर, जिला चन्दौली के समक्ष अपनी समस्त व्यथितियों को प्रस्तुत करते हुए एक नवीन अभ्यावेदन प्रस्तुत करें। यदि याचिकाकर्ता द्वारा प्रतिवादी संख्या 3 के समक्ष ऊपर उपदर्शित समय के भीतर ऐसा कोई अभ्यावेदन दाखिल किया जाता है, तो उन्हें निर्देशित किया जाता है कि वे प्रकरण में विधि में विहित प्रक्रिया के अनुसार शीघ्रातिशीघ्र तथा अधिमानतः याचिकाकर्ता द्वारा उनके समक्ष ऐसा अभ्यावेदन दाखिल किए जाने की तिथि से छह सप्ताह की अवधि के भीतर आवश्यक कार्यवाही करें।

(प्रकाश पाड़िया, न्यायमूर्ति)

18 फरवरी, 2026

स्वाती

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"